

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म.प्र.)

संशोधित कार्यविभाजन आदेश

क्रमांक-56(एक-दो-01)07

सागर, दिनांक 30.04.2025

मैं महेश कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर कार्यविभाजन आदेश क्रमांक 45/(एक-दो-01)07 दिनांक 15.04.2025 में सिविल कोर्ट अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 214, 422 (2) और धारा 441 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्व में जारी आदेशों को अधिभावी रूप से अधिष्ठित करते हुये निम्न आंशिक संशोधन करता हूँ।

क	न्यायालय का नाम व स्थान (02)	क्षेत्राधिकार (03)	प्रकरण का प्रकार, जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है (04)
1	सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एवं सप्तम अति. सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सागर (श्री समरेश सिंह)	जिला मुख्यालय सागर	आपराधिक प्रकरण 1. सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण, विविध दाण्डिक प्रकरण एवं जमानत संबंधी आवेदन पत्र जो सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावें। व्यवहार प्रकरण 1. प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां 2. पुलिस आरक्षी केन्द्र राहतगढ़ के थाना क्षेत्र से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं उनसे उत्पन्न प्रवर्तन एवं विविध कार्यवाहियां। 3. न्यायालय चतुर्थ, सप्तम व अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सागर के निर्णय एवं आदेशों से उत्पन्न होने वाली नियमित एवं विविध सिविल अपील प्रकरण

नोट:- उक्त संशोधन के अतिरिक्त शेष कार्यविभाजन/प्रभार आदेश यथावत रहेगा।

(महेश कुमार शर्मा)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

2556

पृष्ठांकन क्रमांक (एक-दो-01)07

सागर दिनांक: 30.04.2025

प्रतिलिपि:-

1. सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (श्री समरेश सिंह) ।
2. केन्द्रीय पंजीयन अनुभाग, जिला न्यायालय सागर।
3. प्रस्तुतकार लिपिक प्रधान जिला न्यायाधीश, सागर ।
4. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सागर
की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
सागर (म.प्र.)

016